एससीएनआईए 2650/2022

13.09.2025 **प्रकरण आज दिनांक 13.09.2025 को नेशनल लोक अदालत खंडपीठ क्रमांक 26 के समक्षं पेश।**

परिवादी बैंक द्वारा श्री भूपेन्द्र कुमार माहौर अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त अनिर्वाहित।

परिवादी द्वारा आज दिनांक को धारा 147 परक्राम्य लिखत अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वह प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो गया है, कोई लेन देन शेष नहीं रहा है। अतः प्रकरण समाप्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

परिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन एवं प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित हो रहा है कि स्वंय परिवादी प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। चूंकि प्रकरण में अभियुक्त द्वारा द्वितीय पेशी दिनांक पर राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया गया है इसलिए व्यय अधिरोपित करना आवश्यक नहीं है। अतः राजीनामा के आलोक में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

अभियुक्त **राकेश सिंह पुत्र केशव सिंह गुर्जर** को **धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम** के अभियोग से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

नेशनल लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण होने से परिवादी प्रस्तुत न्याय शुल्क राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

परिवादी को न्यायालय शुल्क वापिस किए जाने हेतु प्रमाण पत्र जारी किया जावे तथा एक प्रति कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ग्वालियर को भेजी जाये।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख अभिलेखागार भेजा जावे।

प्रियंका मालपानी राठी
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत पीठ क.–26
ग्वालियर (म0प्र0)

सदस्यः–

1. श्री चंद्रभान पंडित

PRIYANKA MALPANI RATHI

Digitally signed by PRIYANKA MALPANI RATHI
Date: 2025.09.13 13:01:52 +0530

2. श्री अभिषेक यादव